हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः—516/2020 (GCMS No. 2020/00539) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. ललित कुमार उर्फ बन्टी पुत्र रमेशचन्द कौम ब्राहम्ण निवासी गांव खनपुरा, तहसील राजाखेडा, जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. दर्शननाथ } पुत्रगण निहालसिंह कौम नाथ निवासी नाथों का पुरा, खनपुरा,
2. केतननाथ } तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर
3. तहसीलदार राजाखेडा वहैसियत लैण्डहोल्डर
4. आर.जी.बी. शाखा राजाखेडा

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा दिनांक 05.03.2020 मु.नं. 11/2016 उनवान दर्शननाथ बगैराह बनाम तहसीलदार आदि

उपस्थितिः—

1. कृष्ण कुमार सिंघल, वकील अपीलान्ट
2. चन्द्रमोहन गुप्ता, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य

दिनांक : 23.02.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय दिनांक 05.03.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण सपेरा जाति के अनुसूचित जाति की कैटेगरी में आते हैं तथा विवादित आराजी ख.नं. 308 रकवा 1 बीघा 09 विस्वा साबिक नम्बर 198 मि., 310 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा, साविक नम्बर 225 मिन 314 रकवा 1 बीघा 04 विस्वा, साविक नम्बर 225 मिन 319 रकवा 0.13 विस्वा, साविक नम्बर 225 मिन 324 रकवा 0.02 विस्वा, साविक, नं. 190 मिन 329 रकवा 1

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

बीघा 07 विस्वा, साविक नं. 191, 192 मिन 333 रकवा 1 बीघा 06 विस्वा, साविक नं. 191 मिन 346 रकवा 0.12 विस्वा, साविक नं. 190 मिन 351 रकवा 0.17 विस्वा, साविक नं. 188 मि. 190 मिन 364 रकवा 0.11 विस्वा, साविक नं. 1989 मिन 443 रकवा 1 बीघा 05 विस्वा, साविक नं. 2 मिन 189 मिन 446 रकवा 0.12 विस्वा, साविक नं. 189 मिन 453 रकवा 0.12 विस्वा, 189 मिन 458 रकवा 0.05 विस्वा, साविक नं. 189 मिन 619 रकवा 1.00 विस्वा, साविक नं. 225 मिन 1020/449 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा, साविक नं. 189 मिन स्थित गॉव खनपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर में सैटलमेंट से पूर्व उपरोक्त विवादित आराजी रेस्पो. के पिता एवं उनके भाईयों बादामनाथ, मुदरिया, दरियाब पि. ख्यालीनाथ जाति सपेरा की खातेदारी की थी जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। बन्दोवस्त के दौरान अपीलान्ट के पिता निहालसिंह की जाति सपहेरा (सपेरा) को बदलकर नाथ दर्ज कर दिया जिन्हें दुरूस्त किया जाकर अपीलान्टस की जाति नाथ के स्थान पर सपहेरा (सपेरा) राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट की जाति नाथ को लोपित किया जाकर सपहेरा (सपेरा) दर्ज किये जाने हेतु आदेश दिनांक 05.03.2020 पारित किया गया जो विधि विरूद्ध है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट प्रस्तुत किया कि उनकी जाति संबंधी गलती को सुधार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जावें। अपीलाधीन आदेश से पूर्व राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राजात खतौनी बन्दोवस्त जमाबन्दी सम्वत् 2022 व जमाबन्दी सम्वत् 2027 से 2063 व आधार वर्ष जमाबन्दी सम्वत् 2005 एवं पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15.09.2016 को प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट एवं तहसीलदार राजाखेडा द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 473 दिनांक 14.02.1995 एवं डिजीटल जाति प्रमाण पत्र 2016 एवं अन्य दस्तावेजात से यह तथ्य स्पष्ट था कि रेस्पोडैन्ट्स की जाति स्वीकृत रूप से नाथ है जो अन्य पिछडी जाति में आते हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(125)आर.एण्ड.पी/स.फ.वि./46631 दिनांक 27.08.1993 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के लिए पिछडे वर्ग की सूची में सम्मिलित वर्गों में से नाथ (24) वर्ग जाति के सदस्य हैं। रेस्पो. खेतिहर कृषक हैं, जो हमेशा से नाथ जाति के हैं तथा खेती कर अपना जीवन यापन करते है कभी भी सपेरा जाति के कामकाजों में नहीं रहे साथ ही रेस्पो. के ग्राम का नाम भी नाथों का डेरा ही है। आपसी विवाह इत्यादी भी नाथ सम्प्रदाय/जाति के परिवारों में होते चले आये हैं। अपीलान्ट व

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

रेस्पो. के मध्य राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में एस.बी. सिविल मिसलेनियस रिट पिटिशन संख्या 15110/2019 उनवानी ललित कुमार बनाम कलेक्टर धौलपुर विचाराधीन है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01.2019 को जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 02.01.2019 का प्रभाव आगामी आदेश तक स्थगित किया हुआ है। उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा के यहां विचाराधीन प्रकरण का अंकन जिला कलक्टर के आदेश में भी किया हुआ है। रेस्पो. की जाति नाथ भली प्रकार से जानकारी में दर्ज की जाती रही है जो सही है और गलतियों का शुद्धिकरण में नहीं आती है। जाति के संशोधन की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त नहीं है। सिर्फ सिविल न्यायालय को ही जाति की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी संख्या 1884/2018 उनवानी ललित कुमार बनाम दर्शननाथ वगैराह में दिनांक 29.08.2018 को निर्णय पारित कर पैरा संख्या 6 में स्पष्ट तौर पर निर्णय पारित किया कि गैर निगराकार केतननाथ व दर्शननाथ दोनों की जाति नाथ है और यह स्वभाविक है कि इनके चचेरे भाई बहिन भी नाथ जाति के हैं और नाथ जाति अन्य पिछडे वर्ग में आती हैं। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध भी रेस्पो. द्वारा कोई रिट इत्यादि उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। कोविड–19 माहमारी व्याप्त होने के कारण न्यायालय द्वारा नकल जारी नहीं की गई और प्रार्थी भी घर पर ही फंसा रहने के कारण नकल प्राप्त कर निश्चित समयावधि पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। अपील पेश करने में प्राकृतिक आपदा से हुई देरी को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद सुमार की जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2020 निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान रेस्पोडैन्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2020 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से 16.06.2020 को उक्त अपील दायर की। अपील के समर्थन में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया। न्यायालय के मत में उक्त प्रार्थना पत्र में विलम्ब के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन आदेश

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

में रेस्पोडैन्ट दर्शननाथ व केतननाथ की जाति नाथ के स्थान पर सपेरा (सपेरा) किये जाने का आदेश पारित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 29.08.2018 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा द्वारा निरस्तारित प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 दिनांक 08.12.2018 के विरूद्ध निगरानी स्वीकार कर प्रकरण में अपीलान्ट को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर मय सुनवाई किये जाने के आदेश प्रदान किये। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्णय के विन्दु संख्या 6 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया कि "यह तथ्य निर्विवाद है कि गैर निगरानीकार केतननाथ व दर्शननाथ दोनों की जाति नाथ है और यह स्वभाविक है कि इनके चचेरे भाई–बहन भी नाथ जाति के हैं।" इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 19.09.2019 के द्वारा दिनांक 02.01.2019 को जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के जाति संबंधित किये गये आदेश को स्थगित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णयों के संबंध में असहमति का कोई भी कारण उल्लेखित नहीं किया है, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का तर्क पूर्वक विश्लेषण अपने अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश सरसरी तौर पर बिना दस्तावेजी साक्ष्यों के गुणावगुण पर पूर्ण परीक्षण किये पारित किया गया है। न्यायालय के मत में उपरोक्त समस्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा का निर्णय दिनांक 05.03.2020 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय/आदेश का पूर्ण परीक्षण कर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण अन्दर 3 माह में किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 23.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-02-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर